

>

Title: The Minister of State in the Ministry of Water Resources laid a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 9<sup>th</sup> Report of Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2008-09) , pertaining to the Ministry of Water Resources.

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) :** अध्यक्ष महोदय, मैं 01 सितम्बर, 2004 को लोकसभा बुलेटिन भाग-11 के द्वारा जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देश 73 ए के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूँ।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोकसभा) लोकसभा में 22 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित थी।

स्थायी समिति की उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्यवाई टिप्पणी समिति को 18 अगस्त, 2008 को भेज दी गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों सहित इस रिपोर्ट में 20 सिफारिशें पैरा थे, जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाई की मांग की गई थी। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यतः योजना व्यय की गति की समीक्षा, रिक्त पदों को भरने, राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित अध्ययन, जल उपयोग दक्षता में सुधार, " वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई " के लिए बजटीय शीर्ष के अंतर्गत योजना आबंटन के उपयोग, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित वृद्ध एवं मध्यम परियोजनाओं की संख्या पर अंकुश लगाने, सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग के बीच अंतर के कारणों के समुचित आकलन की आवश्यकता, जल विज्ञान परियोजना-11 के कार्यान्वयन, " जल संसाधन सूचना पणाली " का विकास " नामक स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों की गति बढ़ाने की आवश्यकता, "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण " स्कीम का शीघ्र निष्पादन, माजुली द्वीप की सुरक्षा कार्य की गति बढ़ाने, बाढ़ क्षेत्र स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन, फरवका बैराज परियोजना के बड़े हुए अधिकार क्षेत्र में कटावरोधी उपाय, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधि जारी करना और राज्यों द्वारा उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, एआईबीपी परियोजना के संबंध में विशेष श्रेणी के अंतर्गत राज्यों की पहचान के लिए नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता आदि जैसे मुद्दों से संबंधित थीं।

---

\* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 9648/08.

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और वक्तव्य के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है, जिसे सभापटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुलग्नक की सभी विषयवस्तु को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

-